



कार्यालय अधिष्ठाता
वी.कु.स. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

कनावटी, महु, नसीराबाद रोड, नीमच (म.प्र.) 458441



Website:- www.vksgmcneemuch.org

Email:- deangmcneemuch@gmail.com

क्रमांक/स्था/जी.एम.सी./2026/1722

नीमच, दिनांक: 08/05/2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के नियम 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 (2) के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 के समूह-4 अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 के पदों की सीधी भर्ती में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच में पदपूर्ति हेतु मण्डल द्वारा मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन पश्चात छानबीन समिति की अनुशंसा पर आगामी अन्य आदेश तक निर्धारित शर्तों के अधीन नीचे दी गई तालिका अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम	संवर्ग	चयनित संवर्ग	वेतनमान (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAURABH SINGH CHAUHAN	RAKESH SINGH	M	STENOGRAPHER	UR	UR/NIL	वेतनमान-28700/- लेवल-7 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
2	DEEPAK TAILONG	DINESH RAO TAILONG	M	CODING CLERK	UR	UR/SK	वेतनमान-25300/- लेवल-6 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
3	ROOPESH VISHWAKARMA	RADHESHYAM	M	CODING CLERK	OBC	OBC/NIL	वेतनमान-25300/- लेवल-6 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
4	ARPIT GUPTA	DILIP GUPTA	M	RECEPTIONIST CUM CLERK	UR	UR/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
5	KAILASH	SUNIL KUMAR	M	RECEPTIONIST CUM CLERK	UR	UR/NIL	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
6	HIMANSHU SINGH SIKARWAR	PADAM SINGH SIKARWAR	M	ASSISTANT GRADE 3	UR	UR/LD	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
7	DEVENDRA SINGH BAGHEL	RAGHUVEER SINGH BAGHEL	M	ASSISTANT GRADE 3	OBC	UR/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
8	SUDHA PANDEY	SHARDA PRASAD PANDEY	F	ASSISTANT GRADE 3	UR	UR/NIL	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
9	ABHIJEET VYAS	RAM GOPAL	M	ASSISTANT GRADE 3	EWS	EWS/NIL	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)

DEAN
Harendra Kumar Saklecha
Govt. Medical College
Neemuch (M.P.)

क	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम	संवर्ग	चयनित संवर्ग	वेतनमान (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
10	ARBIND KUMAR DUBEY	RAJKUMAR DUBEY	M	ASSISTANT GRADE 3	UR	UR/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
11	DEVENDRA KUMAR VANI	RAMESH CHANDRA VANI	M	ASSISTANT GRADE 3	OBC	UR/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
12	DEVENDRA KUMAR SAHU	HARISHANKAR SAHU	M	ASSISTANT GRADE 3	OBC	OBC/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
13	SANTOSH VAGHELA	RATAN LAL VAGHELA	M	ASSISTANT GRADE 3	SC	SC/SK	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)
14	NAGENDRA KUMAR BAIGA	LALLU BAIGA	M	ASSISTANT GRADE 3	ST	ST/NIL	वेतनमान-19500/- लेवल-4 (सॉतवे वेतनमान अनुसार)

// नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी //

- नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- यह नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी को नीमच जिले के जिला चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी।
- मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के नियम 13 (1) एवं 13 (2) के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन देना प्रारंभ किया जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 अनुसार उल्लेखित अनर्हताएं पाएं जाने की दशा में यह नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी) सेवा नियम, 1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शर्तों के उल्लंघन पर शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- म.प्र शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे। अर्थात् आप पर राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होगी।

DEAN

Virendra Kumar Saklecha
Govt. Medical College
Neemuch (M.P.)

9. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त अभ्यर्थी को वचन देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नैतिक पतन का प्रकरण विचाराधीन नहीं है और ना ही किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। भविष्य में ऐसे प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
10. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ.सी. 3-15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियुक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र अथवा सेवारत न रहने की दशा में स्वघोषित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आपाको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण पत्र, बच्चे होने पर बच्चों का प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, अन्य वांछित प्रमाण-पत्र एवं दो सेवा पुरितका व सेवा फाइल प्रस्तुत करना होगा।
13. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
14. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
15. नियुक्त अभ्यर्थी पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होंगे।

प्रमाणीकरण किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।




(डॉ. आदित्य एस बेरड)
अधिष्ठाता

वी.कु.स.शा.चि.महाविद्यालय, नीमच
नीमच, दिनांक 08/05/2026

DEAN
Virendra Kumar Saklecha
Govt. Medical College
Neemuch (M.P.)

पृ.कं/स्था./जी.एम.सी./2026/1723 - 1730
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संभागायुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-नीमच।
7. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा।
8. चयनित अभ्यर्थीकी ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(डॉ. आदित्य एस बेरड)
अधिष्ठाता

वी.कु.स.शा.चि.महाविद्यालय, नीमच
DEAN

Virendra Kumar Saklecha
Govt. Medical College
Neemuch (M.P.)